फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पन्नालाल **विपक्षी : श्री मांगीलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 07/25**

जीसीएमएस : 2025/38

कमांक	कार्यवाही विवरण	विविध
	दिनांक : 20.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 भी वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है। सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार हैं। विपक्षी संख्या 1 संयुक्त खातेदारी की भूमि में जबरन विशिष्ट भू भाग पर बाहुबल से निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि में कोई भी सहखातेदार किसी विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य कर कब्जा नहीं कर सकता। क्योंकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर हक हिस्सा निहित हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 बंटवाडा करने से पूर्व किसी विशिष्ट भू भाग पर बाहुबल से निर्माण कार्य कर कब्जा कर लेता है या विशिष्ट भू भाग का विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तहसील घासा जिला उदयपुर राज0 की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 632 पर दर्ज आराजी नम्बर 1248, 3996, 3997, 4002, 4003, 4004, 4012, 4015, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 5764/4039, 5925/4027 किता 16 कुल रकबा 3.7879 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 228 पर दर्ज आराजी नम्बर 4041 रकबा 1.2383 हैक्टेयर भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। मौके पर नया निर्माण नही करें तथा पूर्व में किये गये निर्माण को नही हटाये। मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.03.07 14:49:21 IST Reason: SelfAttested	